न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सीरवी, आर0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

राजस्व वाद संख्या : 86/2012

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मदनसिंह वल्द भभूतसिंह कौम–राजपूत, साकिन–बलाडा, तह.–जैतारण, जिला–पाली (राज.)		1. वीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति–राजपूत, साकिन–बलाडा तह.–जैतारण 2. श्यामसिंह वल्द उम्मेदसिंह जाति–राजपूत साकिन–बलाडा तहसील–जैतारण, जिला–पाली 3. मीरादेवी खातुन बाबुलाल कुमावत 4. गजराई खातुन गोपूराम कुमावत समस्त प्रतिवादीगण स. 4 व 5 निवासी–बलाडा, तहसील–जैतारण 5. उम्मेदसिंह वल्द भोपालसिह राजपूत साकिन–बलाडा, तहसील–जैतारण 6. मानसिंह वल्द भभूतसिंह राजपूत साकिन–बलाडा, तहसील–जैतारण जिला–पाली (राजस्थान) 7. प्रबन्धक एमजीबी बैंक बलाडा तह.–जैतारण, जिला–पाली (राज.) 8. प्रबन्धक एसबीबीजें शाखा जैतारण तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.) 9. तहसीलदार भूमिधारक राजस्थान सरकार, जैतारण तह.–जैतारण, जिला–पाली (राज.) 10. सज्जनसिंह वल्द कालूसिंह जाति–राजपूत साकिन–बलाडा तहसील–जैतारण, जिला–पाली(राज0)

<u>राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> <u>तारीख रजू:.21/03/2016</u>

उपस्थितः–

1. श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री चावण्डदान बाहरठ, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०.

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 18/06/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् हुक्म ईम्तनाइ दवामी तकासमा कृषि आराजी हस्ब जैर दफा 198, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–बलाडा, पटवार क्षेत्र–बलाडा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–रास, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज. में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 198 रकबा 0–16 किस्म गै.मु., ख0नं0 199 रकबा 53–17 चाही दोयम, ख0नं0 200 रकबा 0–10 गै.मु., ख0नं0 201 रकबा 23–11 चाही दोयम, ख0नं0 202 रकबा 8–11 चाही दोयम, ख0नं0 203 रकबा 0–03 गै.मु., ख0नं0 204 रकबा 15–16 चाही दोयम, कुल किता–7 कुल रकबा 103–04 बीघा लगान की रकम 76.87 आयी हुई हैं, जिसे दावे में मुतदाविया कृषि आराजी से सम्बोधित किया गया हैं। दावे के साथ खतौनी नकल सम्वत 2065 से 2068 व नक्शा ट्रेस व नजरी नक्शा को दावें का एक भाग माना जावें। उक्त वर्णित कृषि आराजी ग्राम–बलाडा में स्थित हैं। उक्त मुतदाविया आराजी मुददई एवं मुदायलहान सं0 1, 2, 5, 6 की पुश्तैनी हिन्दू मुर्स्तफा खान दान की कृषि आराजी हैं। वक्त सैटलमैन्ट एवं उससे पूर्व मुदई एवं मुदायलहान का मौके पर कब्जा हैं। बिना किसी व्यवधान के काबिज है और कृषि भूमि का उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं। मुतदाविया कृषि आराजी मौके पर बंटी हुई चुंदडी बंट किए हुए हैं। मुद्दई एवं मुदायलहान सं. 1,2,5,6 बंटवाड़े के आधार पर अलग–अलग खसरा नम्बर कि कृषि भूमि पर मौके पर काबिज हैं, जो नजरी नक्शे में विभिन्न रंग से कब्जा दर्शित किया हुआ। जिन्हें अलग रंग एवं मार्क से दर्शित किया हुआ हैं। मार्क ए रंग लाल से दर्शित ख.नं. 201 एवं 202 में मदनसिंह भभूतसिंह के माफिक है। उत्तर दिशा में सज्जन सिंह का पडौस है। उतर दिशा की नेकम बंदी सैटलमेन्ट से पूर्व से चली आ रही हैं। पश्चिम दिशा में ख.नं. 150 का रास्ता है। प्रतिवादी एवं 10 जो स्ट्रैन्ज परचेजर पडौसी हैं। मुददई के उतर दिशा में स्थित पाल को तोडने पर उतारु हैं। मुददई के पुश्तैनी कृषि आराजी में दखलदांजी एवं दस्तंदाजी करता हैं। बिनायदावा दिनांक 30/03/2012 को मुददई की कब्जे काश्त की कृषि भूमि में मुदायलहान सं. 10 द्वारा बेजा मजाहमात पैदा करने एवं मुददई की खेत के उतर दिशा में स्थित पाल को तोडने की धमकी देने पर बमुकाम–बलाडा में पैदा हुआ। तब मुददई ने मुदायलहान को बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के मौके पर काबिज अनुसार बंटवाडा (चुन्दडी बंट के अनुसार काबिज होन के आधार पर राजस्व नक्शे में तरमीम एवं बटटा मिन आदि लगाने का कहने पर वाद हेतुक पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद पेश हैं। मुदायलहान सं. 10 जो स्ट्रेन्ज व्यक्ति है। उसे मुददई की कब्जे कास्त की कृषि आराजी उसकी मेढ़ वगैरहा में किसी भी प्रकार की दखलदांजी एवं दस्तदांजी करने से एवं मुदायलहान सं. 1 से 6 को मुददई के मौके पर काबिज कृषि भूमि में दखलदांजी व दस्तदांजी करने से हमेशा–हमेशा के बास्ते जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जावें एवं पाबन्द फरमावें। मुददई के दक्षिण मे उम्मेद सिंह की कृषि भूमि स्थित हैं। पूर्व दिशा में श्यामसिंह मुदायलहान सं. 2 का पडौस हैं तथा ख.नं. 202 में भी मुददई हिस्से के माफिक काबिज हैं। जो चुदंडी बंट के आधार पर ख.नं. 202 में मुददई एवं मुहायलहान सं. 2 काबिज है। ख.नं. 200 में मुददई एवं मुहायलाहान सं. 6 को 1/2 हिस्सा है एवं 1/2 हिस्से में मुहायलहान सं. 1,2,5 का हिस्सा हैं। नजरी नक्शें में मार्क पर मुहायलहान सं. 2 का कब्जा हैं, जो बिना रगं के सफेद दर्शित हैं। ख.नं. 204 व 203 की कृषि आाराजी के मुहायलहान सं. 2 द्वारा जरिये पंजीयन बेचान मुहायलहान सं. 3 व 4 को करने पर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज हैं, जो हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है, जो नजरी नक्शे में जेड से दर्शित यलो कलर में हैं। नजरी नक्शे में मार्क बी की कृषि आराजी ब्ल्यू कलर से दर्शित हैं मुददई का सगा भाई मुहायलहान सं. 06 काबिज हैं मार्क एक्स स्थान पर उम्मेदसिंह मुहायलहान सं. 5 व प्रतिवादी सं. 1 काबिज हैं, जो ग्रीन कलर से नजरी नक्शें में दर्शित हैं। उक्त मुतदाविया कृषि आराजी मुददई एंव मुहायलहान सं. 1,2,5,6 की हिन्दू मुस्तकी खान दान की पुश्तैनी कृषि आराजी हैं, जो खतौनी में दर्शाये हिस्सेनुसार मौके पर चुन्दडी बंट से दर्शाये बंटवाडा किया हुआ हैं। उक्त सम्पूर्ण कृषि आराजी में से मुददई का सम्पूर्ण कृषि आराजी में से 1/2 आधी में से 1/2 आधा हिस्सा अर्थात 1/4 हिस्सा की कृषि भूमि 516 बिस्वा आती हैं। जिस पर मुददई काबिज है एवं मुहायलहान सं. 6 की भी सम्पूर्ण कृषि आराजी में 1/2 आधी में से 1/2 आधा हिस्सा अर्थात 1/4 हिस्सा आता हैं। शेष प्रति वादीगण का हिस्सा बदस्तुर हैं अर्थात मुहायलहान सं. एक का सम्पूर्ण कृषि आराजी की 1/2 में से 1/3 हिस्सा व मुहायलहान सं. 2 का 1/2 में से 1/3 हिस्सा आता हैं। उसमें से उसने मुहायलहान सं. 3 व 4 को 300/344 का हिस्सा जो सम्पूर्ण कृषि आराजी में 1/2 में से 1/3 का 300/344वां हिस्सा बेचान किया तथा शेष हिस्सा 44/344 मुहायलहान सं. 2 के पास हैं, जो मुददई के पूर्व की और हैं, जो मुददई एवं मुहायलहान सं. 2 का संयुक्त हैं। उस पर मुददई चुंदडी बंट के आधार पर काबिज हैं। मुहायलहान सं. 1 एवं मुहायलहान सं. 5 का सम्पूर्ण कृषि आराजी में से 1/2 में से क्रमश 1/3 हिस्सा व 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड के अनुसार हैं। मुददई स्वयं के हिस्से की कब्जे काश्त की कृषि आराजी में खाद उर्वरक डालकर उन्नत किस्म की करना चाहता हैं। भूमि सुधार करना चाहता हैं मुददई ने मुहायलहान को बाई मिटस एवं बाउण्डस बंट्वाडा करने को कहा। तब मुहायलहान के विरुद्ध तकासमा कृषि आराजी का वाद-पत्र पेश किया मुददई स्वयं के हिस्सेनुसार अपना खाता अलग करवाकर नक्शे में तरमीम करवाकर नेकम बंदी करवाना चाहता चुन्दडी बंट के आधार पर मौके पर काबिज हैं। राजस्व रेकर्ड में स्वयं का हिस्सा अलग करवाकर लट्टा नक्शें में तरमीम करवाकर बट्टा मिन लगाकर बाई मिटस एवं बाउण्डस के मुददई बंटवाडा चाहता हैं। मुददई स्वयं के कब्जा काश्त की कृषि आराजी ख.न. 201,200 व 202 में मुहायलहान सं. 1,2,3,4,5,6 व 10 द्वारा बेजा मजाहतमात, दखलदांजी व दस्तदांजी मुददई द्वारा काश्त मुताबिक कोई भी कार्य स्वयं के कब्जे काश्त की भूमि में करें तो मुहायलहान सं. 1 से 6 व 10 उनके वारिसान ,नौकर,चाकर, हाली एजैन्ट को हमेशा वास्ते रोका जावें अन्यथा को हमेशा वास्ते रोका जावें। मुददई को खर्च से जैर बार होना पडेगा। दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का मुहायलहान सं. 1 से 6 व 10 के खिलाफ पेश हैं। मुहायलहान सं. 10 को मुददई के कब्जे काश्त की ख. न. 201 में उतर की और नेकमबंदी सेटलमेन्ट से पूर्व से चली आ रही हैं। तोडने से हमेशा-हमेशा वास्ते जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जावें एवं मुहायलहान सं. 1 से 6 एवं 10 को मुददई के काश्त मुतालिक कृषि कार्य में दखलदांजी व कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग में दखलदांजी करने से हमेशा-हमेशा वास्ते रोका जावें। स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक मुददई खिलाफ मुदायलहान सं. 1 से 6 व 10 की पारित की जावें। तहसीलदार जैतारण दावा बाबत तकासमा कृषि आराजी का होने से आवश्यक पक्षकार हैं। मालियन दावा बाबत तकासमा व हुक्म इम्बनाई दवामी का होने के कारण 400रू-400रु कायम की जाकर न्यायालय शुल्क मुद्रांक 21/- का दावें के साथ पेश हैं। उक्त दावा श्रीमान के क्षेत्राधिकार का एवं अन्द म्याद पेश है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बलाड़ा में पेश हुई। पक्षकारान ने मजमा-ए-आम में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया राजीनामा में बटवाडा होना स्वीकार किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, माफिक राजीनामे, माफिक वादी की ईश्तदुआ एवं नजरी नक्शे अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवाडा की प्राथमिक डिकी जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा-बलाडा, पटवार क्षेत्र-बलाडा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र-रास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज. में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 198 रकबा 0-16 किस्म गै.मु., ख0नं0 199 रकबा 53-17 चाही दोयम, ख0नं0 200 रकबा 0-10 गै.मु., ख0नं0 201 रकबा 23-11 चाही दोयम, ख0नं0 202 रकबा 8-11 चाही दोयम, ख0नं0 203 रकबा 0-03 गै.मु., ख0नं0 204 रकबा 15-16 चाही दोयम, कुल किता-7 कुल रकबा 103-04 बीघा भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर आदेशित किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प घोड़ावड़ पेश हुई। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/3662 दिनांक 15/06/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का गहनता से अवलोकन किया गया। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा फर्द पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर हैं। वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अन्तिम डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-बलाडा, पटवार क्षेत्र-बलाडा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र-रास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज. में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 198 रकबा 0-16 किस्म गै.मु., ख0नं0 199 रकबा 53-17 चाही दोयम, ख0नं0 200 रकबा 0-10 गै.मु., ख0नं0 201 रकबा 23-11 चाही दोयम, ख0नं0 202 रकबा 8-11 चाही दोयम, ख0नं0 203 रकबा 0-03 गै.मु., ख0नं0 204 रकबा 15-16 चाही दोयम, कुल किता-7 कुल रकबा 103-04 बीघा में वादी की भूमि का पक्षकारानो में बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म
1	वीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह राजपूत 200/1026, टीकमदास पुत्र कानदास साद 140/1026, श्यामसिंह पुत्र उम्मेदसिंह 44/1026, चांवडसिंह पुत्र उम्मेदसिंह राजपूत 342/1026 सा. देह श्रवणलाल पुत्र बाबुलाल 200/1026, कानाराम पुत्र गोपूराम कुमावत 100/1026 सा. प्रतापपुरा खातेदार रहन वीरसिंह का हिस्सा MGB बैंक बलाड़ा श्रवणलाल पुत्र बाबुलाल का हि.SBBJ बैंक जैतारण।	199 199/3 202/1 203 204	22-10 8-08 4-09 0-03 15-16	चा.दो. चा.दो. चा.दो. गै.मु. चा.दो.
	योग	5	51-06	
2	मानसिंह पुत्र भभूतसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन MGB बैंक बलाड़ा	199/1 198 201	22-17 0-16 2-00	चा.दो. गै.मु. चा.दो.
	योग	3	25-13	
3	मदनसिंह पुत्र भभूतसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार रहन SBBJ बैंक जैतारण।	201/1 202	21-11 4-02	चा.दो. चा.दो.
	योग	2	25-13	
4	वीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह, श्यामसिंह पुत्र उम्मेदसिंह, चावडसिंह पुत्र उम्मेदसिंह कौम राजपूत टीकमदास पुत्र कानाराम साद सा.देह श्रवणलाल पुत्र बाबुलाल, कानाराम पुत्र गोपूराम कौम कुमावत सा. प्रतापपुरा 1/2 मानसिंह मदनसिंह पिता भभूतसिंह कौम राजपुत 1/2 सा.देह खातेदार रहन वीरसिंह, मानसिंह का हिस्सा MGB बैंक, श्रवणलाल पुत्र बाबुलाल, मदनसिंह पुत्र भभूतसिंह का हिस्सा SBBJ बैंक जैतारण।	199/2 200	0-02 0-10	चा.दो. गै.मु.
	योग	2	0-12	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक),
जैतारण (जिला. पाली)

निर्णय आज दिनॉक 18/06/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर–घोड़ावड में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक),
जैतारण (जिला. पाली)